प्रेस विज्ञप्ति

16.10.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने मेसर्स श्री कृष्णा स्टॉकिस्ट एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों के बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 4.60 करोड़ रुपये के भूमि खंडों और भवनों के रूप में अचल संपत्तियों को अंनतिम रूप से रूप से कुर्क किया है। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 18.42 करोड़ रुपये है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जो उधार देने वाले बैंकों यानी भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (आईएफसीआई लिमिटेड), भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) और केनरा बैंक की शिकायतों पर थी, कि मेसर्स श्री कृष्णा स्टॉकिस्ट एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड (एसकेएसटीपीएल) और मेसर्स श्री कृष्णा एग्रीप्रोसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसकेएआईपीएल) ने अपने निदेशकों के माध्यम से कंपनी की झूठी और मनगढ़ंत बैलेंस शीट, गिरवी रखी गई संपत्तियों की जाली और मोटे तौर पर बढ़ा-चढ़ाकर मूल्यांकन रिपोर्ट, मनगढ़ंत कार्य अनुमान आदि प्रस्तुत करके बड़ी मात्रा में ऋण लिया था, और उक्त ऋण राशि को डायवर्ट किया गया और खाता एनपीए हो गया, जिससे बैंकों को 528.26 करोड़ रुपये (ब्याज सहित) का शुद्ध घाटा हुआ।

ईडी की जांच से पता चला कि एसकेएसपीएल और एसकेएपीआईएल ने अपने प्रबंध निदेशक थोटा कन्ना राव की ओर से 2014-15 की अवधि के दौरान आईएफसीआई, आईडीबीआई और केनरा बैंक से 313 करोड़ रुपये की विभिन्न ऋण सुविधाएं हासिल की थीं। कृषि उपज के परिरक्षण, प्रसंस्करण और पुनर्विक्रय के लिए भंडारण सुविधा के निर्माण के लिए ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया गया था। सभी क्रेडिट सुविधाओं को अचल संपत्तियों और स्टॉक के बंधक के माध्यम से सुरक्षित किया गया था, जो आंध्र प्रदेश औद्योगिक और तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड, मिटकॉन कंसल्टेंसी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज के कर्मचारियों और आईएफसीआई के तत्कालीन डीजीएम वीसी राममोहन के साथ मिलकर अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाए गए थे। थोटा कन्ना राव ने रिकॉर्ड / खातों की पुस्तकों में भी हेरफेर किया और फर्जी कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कामयाब रहे और प्राप्त ऋणों को सही ठहराने के लिए इसे वित्तीय ऋण-दाता को प्रस्तुत किया। ईडी द्वारा फंड ट्रेल की जांच से पता चला कि उक्त ऋण राशि नकद में निकाली गई थी और आरोपियों द्वारा विभिन्न भूखंडों को खरीदने के लिए वैध बनाई गई थी।

ईडी ने इससे पहले जांच के दौरान 03.08.2022 को 37.38 करोड़ रुपये के 57 भूखंड जब्त किए थे। इस मामले में माननीय सीबीआई न्यायालय, नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है।

आगे की जांच जारी है।